न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2025
प्रविष्टि दिनांक 09.01.2025

जरिये रामभजन मीना प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

प्रो. श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री कपूर चन्द जैन मै.मंगल मिष्ठान भण्डावर ग्राम व पोस्ट बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–
1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय दिनांक 04.03.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनाक 27.12.2024 को जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी टोक द्वारा फर्म मै. मंगल मिष्ठान भण्डार,ग्राम पोस्ट बनेठा, तहसील उनियारा की जाँच की गई। मौके पर फर्म व्यवसाय स्थल पर फर्म के मालिक श्री नेमीचन्द जैन उपस्थित पाये गये जिनकी उपस्थिति में जॉच एवं निरीक्षण कार्य किया गया। व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को व्यवसायी स्थल पर अवैध रूप से भण्डारण तथा घरेलू एलपीजी का व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू श्रेणी के गैस के सिलण्डर रखे पाये गये।उक्त सिलेण्डर के भण्डारण बाबत आवश्यक दस्तावेज मांगे गये जो मौके पर प्रस्तुत नहीं किय गये। अतः घरेलू श्रेणी गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मौके पर जब्त किया गया एवं फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1.	08166793	IOC	14.2	15.6	29.8	14.2
2.	1004	IOC	14.2	15.7	18.8	3.1
योग						17.3

मौके पर 2 घरेलू श्रेणी के गैस सिलण्डर रखे पाये गये जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 17.3 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनाक 27.12.2024 को जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी टोक द्वारा फर्म मै. मंगल मिष्ठान भण्डार, ग्राम पोस्ट बनेठा, तहसील उनियारा की जाँच की गई। मौके पर फर्म व्यवसाय स्थल पर फर्म के मालिक श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री कपूर चन्द जैन उपस्थित पाये गये जिनकी उपस्थिति में जॉच एवं निरीक्षण कार्य किया गया। व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को व्यवसायी स्थल पर अवैध रूप से भण्डारण तथा घरेलू एलपीजी का व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू श्रेणी के गैस के सिलण्डर रखे पाये गये। उक्त सिलेण्डर के भण्डारण बाबत आवश्यक दस्तावेज मांगे गये जो मौके पर प्रस्तुत नहीं किय गये। अतः घरेलू श्रेणी गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मौके पर जब्त किया गया एवं फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर व्यवसायी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को व्यवसायी स्थल पर अवैध रूप से भण्डारण तथा घरेलू एलपीजी का व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू श्रेणी के गैस सिलण्डर रखे पाये गये जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है।उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों को जब्त किया गया एवं गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु मैसर्स उत्सव ईण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री संजीत कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण माहुर की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नहीं करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 17.3 Kg

जिला कलेक्टर
टोंक

एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 27.12.2024 के अनुसार मै.मंगल मिष्ठान भण्डार, ग्राम पोस्ट बनेठा, तहसील उनियारा कि दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 02 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर व्यवसायिक कार्य मे प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1.	08166793	IOC	14.2	15.6	29.8	14.2
2.	1004	IOC	14.2	15.7	18.8	3.1
योग						17.3

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर नेमीचन्द,नरेन्द्र तथा संजीत के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी नेमीचन्द,नरेन्द्र तथा संजीत के हस्ताक्षर है तथा मैसर्स उत्सव ईण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री संजीत कुमार के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से व्यवसायिक कार्य कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 02 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 17.3 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)